

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण

आवेदन – पत्र

प्रति,

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत.....

जनपद पंचायत..... जिला मंडसौर (म.प्र.)

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व हितग्राही अंश के अभिसरण से शौचालय के निर्माण बाबत ।

महोदय,

मैं पिता ग्राम.....

ग्राम पंचायत का निवासी हूँ मैं अपने मकान (कच्चा पक्का) जो कि ग्राम के वार्ड क्रमांक में स्थित है, मकान परिसर / मकान से लगी हुई निजी भूमि में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत घरेलू शौचालय, वॉश बेसिन सहित पानी की टंकी निर्माण कराना चाहता हूँ। इस कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि रुपये 12,000/- (बारह हजार रु. मात्र) शासन द्वारा दिये जाने की मुझे जानकारी है।

मेरे परिवार के द्वारा पूर्व में समग्र स्वच्छता अभियान या निर्मल भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है तथा किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के उपरांत मेरे परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाएगा व शौचालय को साफ-सुथरा रखकर संचालित रखा जायेगा तथा शौचालय के साथ निर्मित होने वाली पानी की टंकी में पानी की उपलब्धता हमेशा रखी जावेगी।

खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों, वातावरण प्रदूषित होने व इस सामाजिक बुराई के कारण सामाजिक सभ्यता प्रभावित होने की मुझे जानकारी है। अतः इस बुराई को ग्राम से बाहर निकालने में मेरा पूरा परिवार सहयोग करेगा।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी असत्य पाई जाने पर शासन द्वारा व्यय की गई राशि वसूल की जा सकेगी।

दिनांक

हस्ताक्षर एवं नाम हितग्राही

सरपंच / अध्यक्ष

.....

ग्राम पंचायत..... समिति

(पूर्णता प्रमाण – पत्र)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत घरेलू शौचालय निर्माण

1. कार्य का नाम : घरेलू शौचालय जिसमे शौचालय के साथ ही साथ पानी की टंकी एवं हाथ शुलाई बेसिन की ईकाई का निर्माण किया गया है।
2. ग्राम का नाम :
3. हितग्राही का नाम :
4. बीपीएल/एपीएल क्रमांक :
5. हितग्राही की पात्रता : किसी एक पर (सही का) टिक करे पुष्टि संलग्न करे~
बीपीएल कार्ड के साथ खाद्यान पर्ची / अ.जा. / अ.ज.जा. प्रमाण पत्र / लघु सीमांत / भूमिहीन / महिला मुखिया / विकलांगता आदि का पात्रतानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक7.कार्य पूर्ण करने का दिनांक

MIS की स्थिति एवं फोटो अपलोड प्रमाण – पत्र

हितग्राही.....ग्राम.....ग्रामपंचायत.....
के दिनांक.....को शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु SBM पोर्टल पर नाम जोड़ा गया एवं दिनांकको जियोटेग किया गया व्यक्तिगत शौचालय की प्रगति एम.आई.एस GOIID..... में दर्शाकर फोटो, संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

सरपंच
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत

सचिव
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत

रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत

हितग्राही
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत

उपयंत्री
जनपद पंचायत
जिला मंदसौर

ब्लॉक समन्वयक
(एसबीएम)
जनपद पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायतजनपद पंचायतजिला मंदसौर

(व्यक्तिगत शौचालय का प्रमाण - पत्र)

हितग्राही का शौचालय पर नाम लेखन के साथ फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीपिता/पति.....
जति वर्ग.....निवासीग्राम पंचायत का होकर वर्ग (APL /
BPL).....पात्रता श्रेणी(अ.ज.जा./अ.जा./लघुसीमांत/भूमिहीन/विकलांग/महिला मुखिया)..... SSSM
परिवार आई. डी आधार संख्याGOIIDहै
इनके द्वारा स्वयं के आवासीय परिसर में स्वच्छ भारत मिशन फेस-2 अंतर्गत वित्तीय वर्ष स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत
नवीन शौचालय निर्माण किया गया है, तथा उक्त परिवार को पूर्व में किसी योजना में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं
दिया गया है।

निर्मित शौचालयों का उपयंत्री/ सरपंच/सचिव / रोजगार सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया शौचालय मानक अनुरूप अच्छी
गुणवत्ता का शौचालय निर्मित होना पाया गया।

शौचालय निर्माण की लागत 12000 /- रुपये प्रदाय करने की अनुशंसा की जाती है

सरपंच	सचिव	रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत	जनपद पंचायत	जनपद पंचायत

टीप- प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में उक्त परिवार को शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं दिया गया है। स्वच्छ भारत
मिशन अंतर्गत नवीन शौचालय निर्माण करवाया गया है।

हितग्राही	उपयंत्री	ब्लॉक समन्वयक
ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	(एसबीएम)
जनपद पंचायत	जिला मंदसौर	जनपद पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला मंदसौर

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने हेतु पत्रक

(प्रमाण पत्र सह चेकलिस्ट)

प्रमाणित किया जाता है की ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के कुल हितग्राही संख्या (सलन सूची) अनुसार मेरे रिकार्ड एवं पंचायत द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर हितग्राहियों को शौचालय निर्माण उपरांत प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है, एवं साथ ही समस्त भुगतान करता हितग्राही के खता संख्या आई.एफ.सी. कोड एवं ब्रांच हितग्राही का नाम पासबुक से मिलान किया जाकर ही लिखे गये है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक / 658 / वि.स / एस.बी.एम .(जी) / 2025 भोपाल दिनांक 03/04/2025 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप ही तैयार किये गये है उपरोक्त में से कोई त्रुटी पाई जाती है तो मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत जिम्मेदार रहूँगा। निम्नानुसार हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करे

[illegible]

परंपरा

ग्राम पंचायत

सन्निव

ग्राम पंचायत

रोजगार सहायक

ग्राम पंचायत